

जयपुर मेट्रो फेज़-2 की डी.पी.आर. भविष्य की जरूरत देखते हुए बनाई जाये : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुर से अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता तथा आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता शहर है और मेट्रो का विस्तार यहां की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की संशा है कि जयपुरवासियों के लिए सुगम एवं अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाए जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देशभर में मॉडल शहर बने।

शर्मा ने कहा कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्च व लागत का समुचित आकलन किया जाये ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मेट्रो कॉरिडोर फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी सहित जयपुर मेट्रो से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता तथा वित्तीय मॉडल की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आमजन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं

जो आम लोगों की पहुंच में हों, और इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना सुनिश्चित करें जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। बैठक में मुख्यमंत्री को

■ **मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो-फेज 2 की बैठक में कहा, “आमजन की सुगमता को देखते हुए निर्धारित करें मेट्रो का रूट”**

■ **‘मेट्रो विस्तार से जयपुर में यातायात प्रबंधन को मिलेगी मजबूती’**

अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी सहित जयपुर मेट्रो से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर शुभकामनाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती (11 अप्रैल) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब, पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक जड़ताओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने महिलाओं के कल्याण व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान दिया। समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रति समर्पण के कारण उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।

शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर, द्वितीय ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका दो साल तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त सुनील कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटवाल ने बताया कि घटना को लेकर पीठिता ने 16 जनवरी, 2019 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि शहर के पुस्तकालय में उसकी पहचान अभियुक्त से हुई थी। इस दौरान अभियुक्त ने उसे अविवाहित बताते हुए शादी का

झांसा दिया। अभियुक्त ने उसे होटल ले जाकर संबंध बनाए वहीं बाद में गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कर दिया। इसके बाद कुछ माह पहले अभियुक्त ने उसे एक फ्लैट में रखकर आए दिन देह शोषण किया। इस दौरान उसे पता चला कि अभियुक्त विवाहित है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीठिता उसकी मां के फ्लैट में रह रही है। जब उसने फ्लैट खाली कराने के लिए कहा तो पीठिता ने उसे हड़पने की नीयत से झूठा मामला दर्ज करा दिया। पीठिता को भी उसी फ्लैट में रह रही है और उनका कितया अधिकरण कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है।

भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम ने गति पकड़ी

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में जमीनी स्तर तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की क्षमता वृद्धि के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। इस क्रम में आयोग के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज्मेन्सी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के 231 चुनाव अधिकारियों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को आरम्भ हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईओ) ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी।

यात्राओं और महंगी होटलों में रुकने में करीब 45 लाख रुपये भी खर्च किए हैं। साथ ही एक्सईएन ने जयपुर के अलावा दोसा में भी जमीनों में इन्वेस्ट किया है। उसने लालसोट में एक लज्जरी फार्म हाउस भी बना रखा है। आरोपी और परिवारजनों के करीब 19 बैंकों में खाते हैं जिन से करोड़ों का लेनदेन हुआ है। एक्सईएन ने सरकारी नौकरी में आने से अब तक करीब चार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जमा की है। जो कि जो कि उनकी आय से करीब 200 प्रतिशत अधिक है। फिलहाल आरोपी एक्सईएन से उसके जगतपुरा स्थित घर पर पछताछ की जा रही है और पछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं।

संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि बैठक में तीन सत्र आयोजित हुए। प्रथम सत्र में संगठनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा, समीक्षा तथा आगामी सत्र के लिए निर्धारित पंचांग की जानकारी दी गई। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम का पाथेय प्राप्त हुआ एवं तृतीय सत्र में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का उद्घेधन हुआ।

प्रथम सत्र में संगठन के प्रदेश

भरतपुर में खननकर्ताओं पर 1 8 0 करोड़ रु. का जुर्माना

जयपुर। राज्य के माइन्स विभाग द्वारा राज्यभर में कार्रवाई जारी है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर जिलें में पहाड़ी तहसील के खनन क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक स्थानों/खानों पर औचक कार्रवाई कर खननकर्ताओं पर 180 करोड़ रुपए का जुर्माना लाया है। माइन्स विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान खननकर्ताओं द्वारा रक्वाओं के दुरुपयोग, बिना रक्वा के खनिजों का अवैध निगमन, अवैध खनन व गैप एरिया में अवैध खनन करवा पाया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान और गत 2 अप्रैल को आयोजित खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश देते रहे हैं। विभाग

■ **अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 339 कार्रवाई में 168 वाहन मशीनरी जब्त**

■ **उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर जिलें में की कार्रवाई**

द्वारा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के दौरान में अवैध खनन, खनिज परिवहन और खनिज भण्डारण के विरुद्ध 339 कार्रवाई करते हुए 168 वाहन मशीनरी जब्त की है। इस दौरान समूचे प्रदेश में 24 हजार 950 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया है वहीं अलग अलग पुलिस थानों में 43 एफआईआर दर्ज कराई गई है

और 26 गिरफ्तारी हुई है। एक करोड़ 97 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है।

निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि विभाग की विशेष टीम ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के छपरा, घोलेट और नांगल आदि गांवों की एक दर्जन से अधिक खानों के मुआयना के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर अवैध खनन का आकलन कर 180 करोड़ रुपए से अधिक की शांति लगाई गई है। इनमें पहाड़ी के छपरा गांव में 3 स्थानों, ग्राम घोलेट में 5 स्थानों और नांगल ग्राम के 6 स्थानों पर खानधारकों द्वारा रक्वाओं के दुरुपयोग, बिना रक्वा के खनिज निगमन और गैप एरिया में अवैध खनन के मामले सामने आये हैं। विभाग द्वारा अवैध खनन का अलग अलग आकलन कर सब पर अलग अलग कुल मिलाकर 180 करोड़ रु. की शांति लगाई है।

वक्फ संशोधनों के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन



तहफ्फुज-ए-औकाफ राजस्थान की अगुवाई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाने में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

जयपुर। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। बोर्ड ने इन संशोधनों को इस्लामी परंपराओं, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार द्वारा किए गए हालिया संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। राजस्थान में इस आंदोलन की अगुवाई तहफुज-ए-औकाफ राजस्थान द्वारा की

जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले राजधानी जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह किसानों के खिलाफ लाए गए कृषि कानूनों को व्यापक विरोध के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार वक्फ संशोधनों के खिलाफ भी व्यापक और लोकतांत्रिक विरोध किया जाएगा। वक्ताओं ने वक्फ संशोधनों को अलोकतांत्रिक बताते हुए

कहा कि इसे बिना संवाद और विचार-विमर्श के पारित किया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

राजस्थान में आंदोलन के कच्चीनर और जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाज़िमुद्दीन ने बताया कि 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक ‘वक्फ बचाओ’ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गली-मोहल्लों से लेकर जिला मुख्यालयों तक विरोध प्रदर्शन, जनजागरूकता सभाएं, पदयात्राएं और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश फिलहाल के लिए देखा है। इससे बावजूद इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देना आवश्यक है। इससे बावजूद इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंकों का लाभ दिया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान ही नहीं रखा गया है। जबकि याचिकाकर्ता लंबे समय से तकनीकी शिक्षा विभाग में गेटेड फैकल्टी और सॉविदा पर काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि चिकित्सा और शिक्षा सहित अन्य विभागों की भर्तियों में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देना का प्रावधान है। इसके बावजूद इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बोनस अंकों का लाभ दिया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर नियुक्ति देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग को कहा है कि वह नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर उन्हें समस्त परिलास सहित नियुक्ति दें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश धीरज शर्मा सहित करीब दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में आवेदन किया था। उनके पास विभाग की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी है। वहीं विभाग की ओर से जारी अंतरिम चयन सूची में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया, लेकिन बाद में अंतिम मेरिट लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है।

पी.डब्ल्यू.डी. का इंजीनियर निकला करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) हरिप्रसाद मीणा के जयपुर और दोसा सहित पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। एसीबी के मुताबिक मीणा पर आय से लगभग 200 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। टीम ने कई दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डील, डिजिटल डेटा आदि को जब्त किया है। पुलिस महानिदेशक एसीबी रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दूदू जिला जयपुर में पोस्टेड एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जिस पर गुरुवार की सुबह एक्सईएन के 5-6 ठिकानों सचं किया जा रहा है। इनमें दूदू के गांव बगड़ी और जगतपुरा में उसके घर सहित ऑफिस में भी एसीबी के अधिकारी सचं कर रहे हैं। एसीबी की प्रारंभिक जांच में हरिप्रसाद मीणा के पास कई बेनामी संपत्तियां और लज्जरी सुविधाएं सामने आई हैं। दो आंडी कारें, एक स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर एसयूवी और रॉयल एनफील्ड बाइक, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में तीन महंगे फ्लैट, दोसा के बगड़ी गांव में एक फार्म हाउस, विदेश यात्राओं और लज्जरी होटलों में ठहरने का भी ब्यौरा मिला है। इसके अलावा 19 बैंकों में खाते हैं। जिनमें करोड़ों के लेनदेन की जानकारी भी सामने आई है। साथ ही बैंकों से लिए भारी लोन को भी कम समय में चुकाने की जानकारी सामने आई है।



आरोपी हरिप्रसाद मीणा के घर मिली आंडी कार।

■ **एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा के जयपुर और दोसा सहित 5 ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की**

प्रारंभिक जांच में कई बेनामी संपत्तियां, कई लज्जरी गाड़ियां, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में तीन महंगे फ्लैट, दोसा के बगड़ी गांव में फार्म हाउस, विदेश यात्राओं और लज्जरी होटलों में ठहरने का ब्यौरा मिला है।

इसके अलावा 19 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है। ए.सी.बी. टीम ने मौके से दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डील, डिजिटल डेटा आदि जब्त किया

अधिशाषी अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत, पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की आशंका है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र कुमार ने बताया कि सचं में एक्सईएन

के यहां कई एंग्रीकल्चर जमीनों के भी दस्तावेज भी मिले हैं। मीणा ने विदेश